राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

:: आदेश ::

S.B. Civil First Appeal No. 864/2018

Jaipur Vidhyut Vitran Nigam & Ors.

Vs.

Badam Devi & Anr.

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री परीक्षित सिंह।

:: आदेश :: **29.11.2018**

न्यायालय द्वारा :–

अपीलार्थी की ओर से इस अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने के क्रम में प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या–**2135/2018** अंतर्गत धारा **5** मियाद अधिनियम पर सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों व आधारों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी के ऐतराज के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और इस अपील को मियाद में माना जाता है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या–**81723/2018 अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता** का निस्तारण अपील के निर्णय के समय किया जाएगा।

अपील के नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तहत **डिक्रीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि मय ब्याज** अधीनस्थ न्यायालय में आगामी **एक माह की अवधि** में जमा कराने को तैयार हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन स्थगित किया जाए।

विचार किया गया। मामला घातक दुर्घटना के क्रम में क्षतिपूर्ति राशि से संबंधित है तथा अपीलार्थी की ओर से **डिक्रीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि मय ब्याज** आगामी **एक माह** की अवधि में स्वेच्छा से अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराने हेतु सहमति प्रदान की गई है, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए **डिक्रीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि मय ब्याज** अधीनस्थ न्यायालय में आगामी **एक माह** की अवधि में जमा कराने की शर्त पर **अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायाधीश, टौंक द्वारा दीवानी दावा संख्या–49/2016** में पारित निर्णय दिनांक **22.03.2018** का क्रियान्वयन प्रत्यर्थी पक्ष के ऐतराज प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपील के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित होता है।

इस आदेश के तहत अपीलार्थी द्वारा आदेशित राशि जमा कराने के पश्चात प्रत्यर्थी–वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में इस आदेश की रोशनी में राशि प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने

पर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाशुदा राशि प्रत्यर्थी–वादी को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि अपीलार्थी इस अपील में सफल होता है तो उस स्थिति में प्रत्यर्थी–वादी द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः अपीलार्थी को **7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** दर के साथ अपील के निर्णय के **एक माह** की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेंगे अन्यथा प्रत्यर्थी–वादी **इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिये दायी होंगे।**

प्रत्यर्थी–वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जानेवाली अण्डरटेकिंग की प्रति विपक्षी को प्रदान की जाएगी तथा यदि विपक्षी द्वारा उस पर ऐतराज प्रस्तुत किये जाते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय उनका निस्तारण करने एवं अण्डरटेकिंग की सत्यतता, विधिकता एवं औचित्यता की जांच कर संतुष्टि के पश्चात ही राशि का वितरण प्रत्यर्थी–वादी को किया जाएगा। यदि प्रत्यर्थी–वादी **एक माह** की अवधि में राशि पुनः अपीलार्थी को अदा करने में असफल रहते हैं तो उस स्थिति में अपीलार्थी को इस आदेश के अधीन ही प्रत्यर्थी–वादी से अदा की गई राशि जरिये इस आदेश इजराय कर वसूल करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु अलग से कोई कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना हेतु अपीलार्थी विधि अनुसार प्रत्यर्थी–वादी के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

अभिलेख तलब हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही करने के पश्चात अभिलेख प्रेषित किया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–